

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर जिला चूरु

पीठासीन अधिकारी— श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 42/2020

अनुवान देवेन्द्र पुनिया आदि बनाम रामकुमार आदि

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, आर. टी. एक्ट

निर्णय दिनांक 04.09.2020

1. देवेन्द्र पुनिया पुत्र रामकुमार पुनिया जाति जाट निवासी रोलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु।
2. सुनिल पुनिया पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रोलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु।
3. सुरेश कुमार पुत्र शिशपाल पुनिया जाति जाट निवासी रोलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु।

वादीगण—

बनाम

1. रामकुमार पुनिया पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी रोलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु।
2. सुनिता पुत्री रामकुमार पुनिया पत्नी राहुल गोदारा जाति जाट निवासी सेक्टर नं. 12 मुक्ताप्रसाद कालोनी बीकानेर।
3. सविता पुत्री रामकुमार पुनिया पत्नी प्रशान्त गोदारा जाति जाट निवासी पुरानी आबादी मोहरसिंह चौक श्रीगंगानगर।
4. ओमप्रकाश पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी रोलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु।
5. सुखदीप चौधरी पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रोलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु।
6. शिशपाल पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी रोलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु।
7. श्यामसुन्दर पुत्र शिशपाल पुनिया जाति जाट निवासी रोलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु।
8. शर्मिला पुत्री शिशपाल पुनिया पत्नी रमेश कुमार जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. समेशता पुत्री शिशपाल पुनिया पत्नी महेश कुमार जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. राजेन्द्र पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी रोलासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु।
11. मनोहरी देवी पुत्री किशनाराम पत्नी गोपालराम जाति जाट निवासी पूनिया कालोनी चूरु।
12. भंवरीदेवी पुत्री किशनाराम पत्नी श्योलाल जाति जाट निवासी भोजरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरु।
13. ईमरतीदेवी पुत्री किशनाराम पत्नी ख्यालीराम जाति जाट निवासी मालासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
14. चुकीदेवी पुत्री किशनाराम पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी मालासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व सरदारशहर।

प्रतिवादीगण—

उपस्थिति:

1. एडवोकेट श्री कालीचरण शर्मा वास्ते वादीगण।
2. एडवोकेट श्री राजकुमार गहनोलिया वास्ते प्रतिवादी सं. 01 ता 14।
3. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी सं. 15।



निर्णय

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रौही मोजा भाटवाला के खसरा नं. 61 मीन की 12 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 41 की 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 61 मीन की 51 बीघा 5 बिस्वा कुल— 73 बीघा 19 बिस्वा व रौही मोजा रोलासर के खसरा नं. 20 की 70 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 283 की 34 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 135 की 59 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 161 की 39 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 211 की 66 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 218 की 36 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 229 की 16 बिस्वा, खसरा नं. 306 की 13 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 314 की 24 बीघा, खसरा नं. 98 की 17 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 103 की 65 बीघा 15 बिस्वा कुल— 428 बीघा 11 बिस्वा तहसील सरदारशहर की चन्द्राराम उर्फ चन्दुराम पुत्र सांवता कौम जाट निवासी रोलासर तहसील सरदारशहर के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी। रौही मोजा भाटवाला के खसरा नं. 41 की 2.63 है. हाल खसरा नं. 84 की 2.63 है. में व खसरा नं. 61 की 16.07 है. हाल खसरा नं. 109 की 16.07 है. में परिवर्तन हुई व रौही मोजा रोलासर के खसरा नं. 20 की 70 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 283 की 34 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 135 की 59 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 161 की 39 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 211 की 66 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 218 की 36 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 229 की 16 बिस्वा, खसरा नं. 306 की 13 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 314 की 24 बीघा, खसरा नं. 98 की 17 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 103 की 65 बीघा 15 बिस्वा कुल— 428 बीघा 11 बिस्वा नकल मिलान क्षेत्रफल रौही मोजा भाटवाला सलंगन वाद है ।

किशनाराम पुत्र चन्द्राराम उर्फ चन्दुराम जाति जाट निवासी रोलासर दिनांक 23.05.2020 को फौत हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी नं. 1, 4, 6, 10 ता 14 है । चन्द्राराम उर्फ चन्दुराम पुत्र सांवताराम के फौत होने के बाद व मृतक किशनाराम का अपने भाईयों के साथ बंटवारा होने के बाद उक्त भूमि में से रौही मोजा भाटवाला के खसरा नं. 41 की 10 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नं. 61 मीन की 51 बीघा 5 बिस्वा कुल— 61 बीघा 13 बिस्वा भूमि व रौही मोजा रोलासर के खसरा नं. 98 की 17 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 103 की 65 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं. 306 की 13 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 314 की 24 बीघा कुल— 120 बीघा 12 बिस्वा तहसील सरदारशहर की मृतक किशनाराम के नाम दर्ज हुई। वर्तमान में हैक्टरों में परिवर्तित हो चुकी है जो कि वर्तमान में आराजी जरई रौही मोजा भाटवाला के खसरा नं. 109 की 16.0700 है. 84 की 3.6300 है. कुल— 18.7000 है. व रौही मोजा रोलासर के खसरा नं. 103 की 16.6282 है. 524/306 की 3.3383 है. 526/314 की 5.8167 है. 98 की 4.4131 है. कुल— 30.1963 है. तहसील सरदारशहर की है।

वादगत भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायकी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का पैदाईसी हक हिस्सा है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वादगत भूमि का मौखिक बंटवारा कर उक्त कृषिभूमि का मौके पर विभाजन कर रखा है और उसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। उसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना खाता अलग कायम करवाना चाहते हैं। वादी सं० 1 के हिस्से में ख० नं० 103 में से पूर्वी तरफ की 10.2672 हैक्टेयर हिस्सा रोही तोलासर जिसे नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग से दर्शाया गया है व वादी सं० 2 एवं प्रतिवादी सं० 5 दोनों के संयुक्त हिस्से में ख० नं० 84 तादादी 2.6300 हेक्टेयर रोही भाटवाला का सम्पूर्ण हिस्सा एवं ख० नं० 109 में पश्चिमी तरफ का 7.6145 हैक्टेयर हिस्सा रोही भाटवाला जिसे नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में नीला रंग से दर्शाया गया है एवं वादी सं० 3 एवं प्रतिवादी सं० 7 दोनों के संयुक्त हिस्से में ख० नं० 98 तादादी 4.4131 हैक्टेयर रोही रोलासर सम्पूर्ण हिस्सा एवं ख० नं० 103 में पश्चिमी तरफ का 6.361 हैक्टेयर रोही रोलासर का हिस्सा जिसे नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग से दर्शाया गया है एवं प्रतिवादी सं० 10 के हिस्से में ख० नं० 109 में से पूर्वी तरफ 8.4553 हैक्टेयर हिस्सा रोही भाटवाला एवं ख० नं० 526/314 तादादी 5.8167 हेक्टेयर व ख० नं० 524/306 तादादी 3.3383 हैक्टेयर रोही रोलासर सम्पूर्ण जिसे नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में पीले रंग से दर्शाया गया है में कब्जा काश्त में है जो लगातार इसी अनुरूप चला आ रहा है और उसी अनुसार वादीगण अपना खाता विभाजन करवाना चाहते हैं। मृतक किशनाराम पुत्र सांवताराम के नाम दर्ज है तथा उपरोक्त संयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ता प्रतिवादी नं. 1, 4, 6 है इन्ही सब

बातों का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी नं. 1, 4, 6 उक्त भूमि में से 3/8 हिस्सा भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवाने की योजना बना रहे हैं जिससे वादीगण के खातेदारी हकुक का हनन होता है जिससे वादीगण अपने खातेदारी हकुक की घोषणा करवा जमाबन्दी दुरुस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अलग खाता व खसरा कायम करवाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाने के कानूनी अधिकारी हैं।

प्रतिवादीगण सं० 1 ता 14 को कई बार कहा एवं कहलवाया कि वो वादगत भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर खाता विभाजन तहसील कार्यालय से करवा लेवे तो वे टाल मटोल करते रहे और आखिरकार दिनांक 27.07.2020 को बमुकाम रोलासर में मानने से साफ इनकार हो गये। लिहाजा यह दिनांक बिनाय मुखास्मत एवं बिनाय दावा है

वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि में से वादी सं० 1 के हिस्से में ख० नं० 103 में से पूर्वी तरफ 10.2672 हैक्टेयर हिस्सा रोही तोलासर व वादी सं० 2 एवं प्रतिवादी सं० 5 दोनों के संयुक्त हिस्से में ख० नं० 84 तादादी 2.6300 हेक्टेयर रोही भाटवाला का सम्पूर्ण हिस्सा एवं ख० नं० 109 में पश्चिमी तरफ का 7.6145 हैक्टेयर हिस्सा रोही भाटवाला एवं वादी सं० 3 एवं प्रतिवादी सं० 7 दोनो के संयुक्त हिस्से में ख० नं० 98 तादादी 4.4131 हैक्टेयर रोही रोलासर सम्पूर्ण हिस्सा एवं ख० नं० 103 में पश्चिमी तरफ का 6.361 हैक्टेयर रोही रोलासर का हिस्सा एवं प्रतिवादी सं० 10 के हिस्से में ख० नं० 109 में से पूर्वी तरफ 8.4553 हैक्टेयर हिस्सा रोही भाटवाला एवं ख० नं० 526/314 तादादी 5.8167 हेक्टेयर व ख० नं० 524/306 तादादी 3.3383 हैक्टेयर रोही रोलासर सम्पूर्ण में काबिज काश्तकार है एवं इन्हें इसी अनुरूप वादगत कृषि भूमि का मौके पर कब्जा एवं काश्त के आधार पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से खाता विभाजन कर तदनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अलग खाता व लगान कायम कर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा में अमलदरामद किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सःशुल्क तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1,2, 4, 6 ता 14 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये हाजिर अदालत आये एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये एवं इकबाल जबाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 15 राज पेरोकार जबाब दावा पेश नहीं करना चाहते अतः उनका जबाब बन्द किया जाता हैं। चूंकि सभी प्रतिवादी गण द्वारा इकबाल जबाब दावा पेश हुआ है अतः तलकी कायम की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 04.09.2020 को वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1,2, 4, 6 ता 14 ने स्वयं उपस्थित होकर एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 5 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। जो तस्दीक किया गया। राजीनामा के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि दावा राजीनामा के आधार पर डिक्री फरमाया जावें।

राजीनामा के अनुसार वादगत कृषि भूमि में से वादी सं० 1 के हिस्से में ख० नं० 103 में से पूर्वी तरफ 10.2672 हैक्टेयर हिस्सा रोही तोलासर व वादी सं० 2 एवं प्रतिवादी सं० 5 दोनों के संयुक्त हिस्से में ख० नं० 84 तादादी 2.6300 हेक्टेयर रोही भाटवाला का सम्पूर्ण हिस्सा एवं ख० नं० 109 में पश्चिमी तरफ का 7.6145 हैक्टेयर हिस्सा रोही भाटवाला एवं वादी सं० 3 एवं प्रतिवादी सं० 7 दोनो के संयुक्त हिस्से में ख० नं० 98 तादादी 4.4131 हैक्टेयर रोही रोलासर सम्पूर्ण हिस्सा एवं ख० नं० 103 में पश्चिमी तरफ का 6.361 हैक्टेयर रोही रोलासर का हिस्सा एवं प्रतिवादी सं० 10 के हिस्से में ख० नं० 109 में से पूर्वी तरफ 8.4553 हैक्टेयर हिस्सा रोही भाटवाला एवं ख० नं० 526/314 तादादी 5.8167 हेक्टेयर व ख० नं० 524/306 तादादी 3.3383 हैक्टेयर रोही रोलासर सम्पूर्ण में काबिज काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर अलग-अलग नक्शा तरमीम किये जाने का निवेदन किया हैं। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। उभय पक्षकारान ने राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की।

उक्त दावा के तथ्यों का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर दोनो पक्षों को सुना गया और राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन करने पर राजीनामा के आधार पर निर्णित करना उचित समझती हूं एवं वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

आदेश

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि में से वादी सं० 1 के हिस्से में ख० नं० 103 में से पूर्वी तरफ 10.2672 हैक्टेयर हिस्सा रोही तोलासर व वादी सं० 2 एवं प्रतिवादी सं० 5 दोनों के संयुक्त हिस्से में ख० नं० 84 तादादी 2.6300 हेक्टेयर रोही भाटवाला का सम्पूर्ण हिस्सा एवं ख० नं० 109 में पश्चिमी तरफ का 7.6145 हैक्टेयर हिस्सा रोही भाटवाला एवं वादी सं० 3 एवं प्रतिवादी सं० 7 दोनो के संयुक्त हिस्से में ख० नं० 98 तादादी 4.4131 हैक्टेयर रोही रोलासर सम्पूर्ण हिस्सा एवं ख० नं० 103 में पश्चिमी तरफ का 6.361 हैक्टेयर रोही रोलासर का हिस्सा एवं प्रतिवादी सं० 10 के हिस्से में ख० नं० 109 में से पूर्वी तरफ 8.4553 हैक्टेयर हिस्सा रोही भाटवाला एवं ख० नं० 526/314 तादादी 5.8167 हेक्टेयर व ख० नं० 524/306 तादादी 3.3383 हैक्टेयर रोही रोलासर में खातेदारी एवं इसी अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किया जावे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा एनेक्स् 'क' निर्णय का भाग रहेगा। उपरोक्त निर्णय एवं आदेशानुसार प्रतिवादी सं० 15 को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे निर्णय आदेश की पालना करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी किया जाता है।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर(चूरू)

निर्णय आज दिनांक 04.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर(चूरू)

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारषहर जिला चूरु
पीठासीन अधिकारी- श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)
वादपत्र संख्या 42/2020
अनुवान देवेन्द्र पुनिया आदि बनाम रामकुमार आदि
वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, आर. टी. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री कालीचरण शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुदई हाजरी श्री राजकुमार गहनोलिया एडवोकेट मिनजानिब मुदायलाह पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादी सं० 1 के हिस्से में ख० नं० 103 में से पूर्वी तरफ 10.2672 हैक्टेयर हिस्सा रोही तोलासर व वादी सं० 2 एवं प्रतिवादी सं० 5 दोनों के संयुक्त हिस्से में ख० नं० 84 तादादी 2.6300 हेक्टेयर रोही भाटवाला का सम्पूर्ण हिस्सा एवं ख० नं० 109 में पश्चिमी तरफ का 7.6145 हैक्टेयर हिस्सा रोही भाटवाला एवं वादी सं० 3 एवं प्रतिवादी सं० 7 दोनो के संयुक्त हिस्से में ख० नं० 98 तादादी 4.4131 हैक्टेयर रोही रोलासर सम्पूर्ण हिस्सा एवं ख० नं० 103 में पश्चिमी तरफ का 6.361 हैक्टेयर रोही रोलासर का हिस्सा एवं प्रतिवादी सं० 10 के हिस्से में ख० नं० 109 में से पूर्वी तरफ 8.4553 हैक्टेयर हिस्सा रोही भाटवाला एवं ख० नं० 526/314 तादादी 5.8167 हेक्टेयर व ख० नं० 524/306 तादादी 3.3383 हैक्टेयर रोही रोलासर में खातेदारी एवं इसी अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किया जावे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत न एनेक्स् 'क' निर्णय का भाग रहेगा।

बीज.....

.....मुबलिबाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 09 सन् 2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

ओहदा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	08	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	04	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	16	00	मिजान	01	00

